ालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

न अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र संख्या : 85/2017

No. : 2017/00175

प्रार्थी :–

ह़सीलदार, जैतारण

ड होल्डर राजस्थान सरकार

सील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. संतोष पत्नी लेखपालसिंह कौम– सीरवी साकिन– पातुस
2. पुखाराम पुत्र रूपाराम कौम– सीरवी साकिन– आगेवा

स्व प्रार्थना पत्र बाबत् **बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 55**

तारीख रजू –:02.05.2017

ात:– 1. तहसीलदार, जैतारण, सरकारी पैराकार।

2. श्री रेवतराम चारण, रामलाल देवासी, सुनिल प्रजापति अधिवक्ता प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 31/05/2022**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 61/5 कुल रकबा 13–10 बीघा, मौजा पातुस** स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के दार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 02 ने साथ मिलकर जमीन त पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक या अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***प्लोटिंग काटकर*** जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है सका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व न्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को वर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण ा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व ाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत **दिनांक** **.04.2017** को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित ा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से **आवासीय प्रयोजनार्थ(*प्लोटिंग काटकर*)** का अकृषि कार्य रने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 2क, आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश र निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 ादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे के वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी डो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावें।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कि[illegible]र अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ओर से वकालतनामा पेश [illegible] प्रार्थना पत्र पेश किया, जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि वादपत्र के पद संख्या 01 व 02 का [illegible] है कि मौजा पातुस में खसरा नम्बर 61/5 रकबा 13–10 [illegible] भूमि की प्रतिवा[illegible] खातेदार काश्तकार होकर काबिज है उक्त पद में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 02 का जवाब है कि उक्त पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार की प्लॉटिंग नहीं की गई है, ना ही अकृषि कार्य किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

रहा हैं प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर लगातार काश्त कार्य कर रहे है। जिसका इन्द्राज री हल्का द्वारा गिरदावरी में किया जा रहा है। जिस गिरदावरी की नकल साथ पेश कि रही हैं प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का कोई गैर अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तो भूमि को संपरिवर्तित करवाये जाने की आवश्यकता ही नहीं है ना ही प्रतिवादी द्वारा ी प्रकार काश्तकारी प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हैं ना ही राजस्व नुकसान पहूंचाया हैं। पद संख्या 03 का जवाब है कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार प्रतिवादी द्वारा किसी भी टीनेन्सी एक्ट की शत्र का उल्लंघन नहीं किया गया है ना ही वादी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल किया जा सकता है। पद संख्या 4 का जवाब कि इस पद में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। पटवारी हल्का बिरोल द्वारा एक का मौका रिपोट्र बनाकर बिना किसी को नोटिस दिये तैयार की हैं जो विधि विरुद्ध है का रिपोट्र में प्लॉट का लिख देने का मात्र से भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ नहीं हो जाती हैं का रिपोट्र को आधार मानकर प्रतिवादी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल नहीं किया सकता है। उक्त भूमि में किसी प्रकार के आवासीय भवन निर्मित नहीं हो रखे है ना ही का रिपोर्ट में की दर्ज हैं मौका रिपोर्ट में कहा कहा पत्थर के मुड्डे रोपे है वह भी दर्ज ना ही कोई प्लॉटींग का नक्शा प्रस्तुत हो रखा है। जिस कारण उक्त रिपोर्ट विश्वसनीय ना ही प्रतिवादी को बेदखली का आधार हो सकती हैं। वादी को किसी प्रकार का कोई ाय वाद उत्पन्न नहीं होता हैं। वादपत्र गलत प्रस्तुत किया गया है। बहस प्रार्थी सरकारी कार तहसीलदार जैतारण एवं अधिवक्ता प्रतिवादी की सुनी गई।

भू. अ. निरीक्षक वृत. जैतारण एवं हल्का पटवारी निम्बोल द्वारा फर्द मौका ोर्ट मय उपपंजीयक जैतारण के दस्तावेजात् के आधार पर दिनांक 06.09.2021 को पेश गई, जो शामिल मिसल की गई। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेज, जवाबदावा आदि का ध्ययन करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार वेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

. तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 955 विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पातुस ारण के खसरा नम्बर 61/5 रकबा 13-10 बीघा जिसकी किस्म बारानी अव्वल है, र्थात् कृषि भूमि है। जिसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य के लिए किया जा सकता है रन्तु अप्रार्थीगण उक्त आराजी की कृषि भूमि पर प्लॉटिंग कर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग र रहे है, जिस से कृषि भूमि की उपयोगिता समाप्त कर दी गई है। उक्त कृत्य की जानकारी दिनांक 06.04.2017 को प्राप्त हुई, अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पातुस में खसरा संख्या 61/5 रकबा 13-10 बीघा भूमि में वह खातेदार काश्तकार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का प्लॉटिग आदि नही की गई है तथा न ही अकृषि कार्य किया गया है। प्रतिवादी उक्त भूमि पर [illegible] काश्त कार्य कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी टीनेन्सी शर्तो का उल्लंघन नही किया है। पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में गलत रुप से प्लॉटिग का अंकन किया है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का आवासीय भवन निर्मित नही है न ही प्लॉटिग के कोई मुड्डे रोपे हुए है। अतः प्रतिवादीगण को बेदखल नही किया जा सकता है। अतः वादी का वादपत्र मय खर्चा खारिज फरमावे।

3. प्रकरण में भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण से वादग्रस्त आराजी की नवीनतम मौका एवं रिकॉर्ड की रिपोर्ट प्राप्त की गई, जो दिनांक 06.09.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण जिला पाली

अनुसार ग्राम पातुरा के खसरा संख्या 61/5 रकबा 13-10 बीघा किस्म बारानी संतोष पत्नी लेखपालसिंह कौम सीरवी एवं पुखाराम पुत्र कपाराम कौम सीरवी के खातेदारी दर्ज है। मौके पर 10-10 बीघा पर खातेदार द्वारा छोटे छोटे पिलर लगाकर नी काट रखी है एवं कृषि भूमि का अकृषि उपयोग हो रहा है। कुछ प्लॉट की वारी भी हो रखी है। खसरा गिरदावरी के अनुसार संवत् 2074 से 2077 में काश्त अंकन नही है। उपपंजीयक कार्यालय में उक्त खसरा नम्बर 61/5 में हुए विक्रय विलेख जांच करने पर वर्ष 2017 के बाद दस्तावेज मे भूखण्ड संख्या 4, 17, 18, 22, 23 वर्गफीट में बैचान हो रखा है।

वादपत्र के साथ प्रस्तुत पटवारी बिरोल की मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 के सार खसरा संख्या 61/5 में खातेदारान् द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना -10 बीघा भूमि पर आवासीय कॉलोनी काटकर कृषि भूमि का अकृषि आवासीय जनार्थ उपयोग किया गया है।

भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ वादग्रस्त आराजी के संबंध में जीयक जैतारण के कार्यालय में हुए पंजीबद्ध विक्रय विलेख के फोर्म नं. 1 के लोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 61/5 में प्लॉट संख्या 18 क्षैत्रफल 1000 फीट, प्लॉट संख्या 4 व 17 क्षैत्रफल 2000 वर्गफीट व प्लॉट संख्या 22 व 23 फल 2000 वर्गफीट का अंकन है। इससे यह स्पष्ट रूप से साबित है कि खातेदारान वादग्रस्त आराजी पर प्लॉटिंग कर प्लॉट संख्या अंकित करते हुए वर्गफीट में प्लॉट न किए है। तथा उक्त कृत्यो को किसी भी दृष्टि से कृषि कार्य नही माना जा सकता क यह कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कारित अकृषि कृत्य की श्रेणी में आता है।

वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी ग्राम पातुरा से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी किस्म बारानी अव्वल है जो कि कृषि भूमि की श्रेणी में आती है तथा ऐसी भूमि पर ना सक्षम स्वीकृति के एवं बिना संपरिवर्तन करवाये प्लॉटिंग आदि काटकर मौके पर प्लॉट मुड्डे आदि रोपकर प्लॉट के रूप में हस्तान्तरण करना कृषि भूमि के लिए हानिप्रद कृत्य कृषि भूमि का अकृषि उपयोग की श्रेणी में आता है।

प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के खातेदारान् के द्वारा दिनांक 01.05.2018 को प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम एक माह में नियमन करवाने के लिए फाईल लगाकर क्रिया को शुरू कर देंगे। अतः हमें अवसर प्रदान करावे। इसके बावजूद खातेदारान् द्वारा स संबंध में आदिनांक तक कोई कार्यवाही नही की गई।

8. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान है :-

177. **अहितकर कार्य या शर्त भंग के लिए बेदखली** – (1) भू-धारक के आवेदन पर अभिधारी अपनी जोत से बेदखली का दायी होगा :-

(क) ऐसे किसी कार्य या लोप के आधार पर जो उस जोत में की भूमि के लिए अहितकर हो या जिस प्रयोजन के लिए भूमि पट्टे पर दी गई थी उससे असंगत हो, या

(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्त भंग की है जिसके भंग करने पर वह विशेष संविदा या इस अधिनियम के उपबंधो के प्रतिकूल नही है, के अनुसार बेदखली का दायी हो:

परन्तु इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वृक्षारोपण करना या सुधार करना इस धारा के अधीन बेदखली का आधार नहीं होगा।

9. इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन एवं वादग्रस्त आराजी से संबंधित भू अभिलेख, मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 एवं 06.09.2021 एवं उपपंजीयक कार्यालय जैतारण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested

ऱेजात् के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम पातुस पटवार बिरोल के खसरा संख्या 61/5 रकबा 13-10 बीघा किस्म बारानी अव्वल जो कि भूमि है के खातेदारान् द्वारा उक्त भूमि में से 10-10 बीघा भूमि पर आवासीय जनार्थ प्लॉटिंग की जाकर गैरकृषि उपयोग किया जा रहा है, जो वर्तमान में भी जारी जिसके लिए उक्त खातेदारान् द्वारा पर्याप्त एवं दीर्घकाल तक अवसर देने के बावजूद ी भी सक्षम अधिकारी से अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन अनुज्ञा प्राप्त नही की है, न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया है। खातेदारान् का उपर्युक्त कृत्य राजस्थान तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए तकर कार्य की श्रेणी में आने के साथ साथ काश्तकार और सरकार के मध्य की दा का भी भंग है। अतः उक्त खातेदारान् की भूमि के कुल रकबे 13-10 बीघा में पटवारी नजरी नक्शे मौका रिपोर्ट अनुसार 10-10 बीघा भूमि में से अभिधृति कार विलोपित करते हुए भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज कर मौके से बेदखल ा जाकर तत्काल कब्जा राज लिया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा। चूंकि रा संख्या 61/5 कि शेष भूमि मौके पर खाली है, जो कि राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 177(1) के अन्तर्गत कृषि भूमि के लिए अहितकर कार्य की ी में नही आता है, अतः शेष भाग को खातेदारी में यथावत रखा जाना विधिसंगत ा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी धिनियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी रहद मौजा- पातुस, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 61/5, रकबा 13-10 बीघा, स्म- बारानी अव्वल में से 10-10 बीघा भूमि जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 4.03.2017 तथा 06.09.2021 में अंकित है, जिसे प्लॉटिंग आदि की जाकर मौके र अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है, से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों ो विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज प्राप्त किया जावे। शेष रकबा खातेदारान् के नाम यथावत् दर्ज रहेगा। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 तथा 06.09.2021 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 तथा 06.09.2021 इस निर्णय का भाग होगी। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 31/05/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण
ऽलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

प्रार्थी :- बनाम अप्रार्थीगण :-

तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील- जैतारण, जिला-पाली

1. संतोष पत्नी लेखपालसिंह कौम- सीरवी साकिन- पातुस
2. पुखाराम पुत्र रूपाराम कौम- सीरवी साकिन- आगेवा

स्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा , 7 राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 मु0न0 :- 85/2017

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री रामलाल चौधरी, श्री सुनिल प्रजापति, रेवतसिंह चारण अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया ा है वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली-भाँति ात होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा- पातुस, तहसील- ारण, खसरा नम्बर 61/5, रकबा 13-10 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल में से 10-10 ा भूमि जो वाद-पत्र एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 तथा 06.09.2021 में ंकत है, जिसे प्लॉटिग आदि की जाकर मौके पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया से प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए सिवायचक खाता सरकार करते हुए उस पर से प्रतिवादीगण को भौतिक रूप से बेदखल किया जाकर कब्जा राज त किया जावे। शेष रकबा खातेदारान् के नाम यथावत् दर्ज रहेगा। तहसीलदार जैतारण निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न मौका रिपार्ट दिनांक 24.03.2017 तथा 6.09.2021 में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। का रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 तथा 06.09.2021 इस निर्णय का भाग होगी। हसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर -......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31/05/2022 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण, जिला-पाली

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	07	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	05	00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशन		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान:-	-Nil-		मिजान:-	12	00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 18:03:19 IST
Reason: SelfAttested